न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ आरूषी मलिक, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/एफ–3/कोर्ट/संआ/वि0अ0/918/2020 भीलवाड़ा (2020/00918)

विभागीय अपील द्वारा श्री सत्य प्रकाश गौड़, वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय भीलवाड़ा हाल कार्यरत सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट भीलवाड़ा विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ1–18(1)( )/स्था/2020/15654 दिनांक 16–04–2020 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री सत्य प्रकाश गौड़, वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय भीलवाड़ा हाल कार्यरत सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट भीलवाड़ा।

निर्णय

दिनांकः–14.10.2020

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ1–18(1)( )/स्था/2020/15654 दिनांक 16–04–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भीलवाड़ा के स्तर से विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 27–03–2020 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 17 सीसीए मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न दो आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

यह है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/साशा/2020/30670 दिनांक 26.03.2020 से जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने से उत्पन्न अति–संवेदनशील स्थिति के मध्यनजर वर्तमान एवं भविष्य में कोरोना वायरस से संबंधित समय–समय पर आयोजित होने वाली विड़ियों कॉन्फ्रेंसिंग तथा उच्चाधिकारियों को भिजवायी जाने वाली विभिन्न सूचनाओं, प्रपत्र, प्रतिवेदन आदि तैयार करने हेतु आपकी ड्यूटी प्रभारी कार्मिक के रूप में लगाई जाकर संबंधित अधिकारियों से सूचनाओं का संकलन करते हुए एकजाई सूचना तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने एवं उच्च स्तर पर भेजने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु आप द्वारा उक्तानुसार सूचना निर्धारित प्रपत्र में समय पर तैयार नहीं किये जाने से देर रात तक उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं भिजवायी जा सकी। जिससे की राज्य स्तर पर जिले की छवि धूमल हुई है तथा उच्चाधिकारियों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। इस प्रकार आप द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं करते हुए उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है।

आरोप संख्या– 2

यह है कि आपकी ड्यूटी प्रभारी कार्मिक के रूप में लगाई जाकर संबंधित अधिकारियों से सूचनाओं का संकलन करते हुए एकजाई सूचना तैयार कर अधोहस्ताक्षरकार्त एवं उच्च स्तर पर भेजने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु आप द्वारा अपने दायित्व का समय पर निर्वाहन नहीं किया गया तथा बिना किसी पूर्व सूचना के दिनांक 27–03–2020 को अवकाश प्रार्थना पत्र भिजवाते हुए स्वास्थ्य खराब होना अंकित करते हुए घर पर रहने की अनुमति चाही गई तथा उक्त दिनांक को आप कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार आप द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति के बिना अवकाश पर चले जाने से उच्च स्तर पर भिजवायी जाने वाली सूचना भेजने में देरी हुई है। जिससे की राज्य स्तर पर जिले की छवि धूमिल हुई है तथा उच्चाधिकारियों द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की गई। आप द्वारा जिले में उत्पन्न उक्त अति संवेदनशील स्थिति की गंभीरता को नहीं समझते हुए आपका उक्त कृत्य प्रशासनिक आदेशों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में होकर, अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 07–04–2020 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 09–04–2020 नियत की गई। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपचारी कार्मिक का रवैया गैर राजकीय एवं गैर संवेदनशील रहने एवं अपचारी कार्मिक के कृत्यों को राजकीय कर्तव्यों के प्रति लापरावाही एवं गैर जिम्मेदाराना मानते हुये अपचारी कर्मचारी पर आरोप पूर्णतया सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ1–18(1)( )/स्था/2020 /15654 दिनांक 16–04–2020 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कार्मिक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व कोई प्राथमिक जांच नहीं करवाई गई है। प्राथमिकी जांच के बिना दी गई चार्जशीट विधि के प्रावधानों के विपरित और जो दण्डादेश दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होकर शून्य है। पारित दण्डादेश स्पीकीग आदेश नहीं है। आरोपो को प्रमाणित मानने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये।

अपीलांट ने आरोप संख्या 01 के संबंध में कथन किया कि आदेश दिनांक 26.03.2020 से सूचना विभिन्न विभागो से प्राप्त करने हेतु अपीलांट को प्रभारी कार्मिक नियुक्त किया गया था तथा अधीन नियुक्त किये गये दोनो कार्मिको ने कार्यग्रहण नहीं किया जिसकी सूचना प्रभारी अधिकारी को प्रदान की गई। सूचना प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उक्त कार्मिको की अन्य कार्य में लगाये जाने से आदेश दिनांक 07–04–2020 से ड्यूटी निरस्त की गई। उक्त सहयोगीयों की अनुपस्थिति में

अपीलांट ने अकेले ही सूचना रिपोर्ट फार्मेट तैयार कर संबंधित विभाग को प्रेषित किया। बार–बार समन्वय स्थापित कर व व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिपोर्ट भिजवाने का निवेदन कर सूचना संकलित कर उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलांट सूचना का सृजनकर्ता न होकर संकलनकर्ता था तथा अन्य सहयोगियों की अनुपस्थिति के उपरान्त भी देर रात तक अकेले ही बैटकर सूचना संकलत कर उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त दिनांक 26.03.2020 को प्रथम बार ही उक्त सूचना का संकलन हुआ जिसमे समय लगना स्वभाविक था। इसके पश्चात् अपीलांट की अनुपस्थिति मे दिनांक 27–03–2020 से 30–03–2020 तक अन्य कार्मिको ने भी देर रात्रि तक सूचना तैयार की जबकि उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि अपीलांट को उक्त कार्मिको से 25–30 मिनिट सूचना संकलन में अधिक लगा क्योकि अन्य सहयोगियों के बिना सूचना प्रथम बार तैयार होने, विभिन्न विभागों से समन्वय कर प्राप्त करने, कार्यालय की थोडे समय लाईट बन्द रहने एवं मौसम खराब होने से स्थिति बनी। अपीलांट के विरूद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर द्वेषतापूर्वक कार्यवाही की गई।

अपीलांट ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि आरोप सं0 1 के अनुसार मेरे द्वारा यदि कोई भ्रामक/गलत सूचना दी जाती तो राज्य स्तर पर जिले की छवि धूमिल होने की स्थिति उत्पन्न होती। ऐसी किसी प्रकार का कृत्य सम्पादित नहीं किया गया अपितु मेरे द्वारा देर रात्रि तक अन्य सहयोगियों की अनुपस्थिति में अकेले बैठकर कार्य किया एवं संकलित सूचना उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की। उच्चाधिकारियों द्वारा नाराजगी व्यक्त करने के संदर्भ में किन अधिकारियों द्वारा किन बिन्दुओ पर नाराजगी प्रकट की गई तथा जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा के किन अधिकारियों/कार्मिको के समक्ष रोष प्रकट किया जिला कलक्टर कार्यालय के पत्रांक 15885 दिनांक 12.06.2020 के बिन्दु सं0 12 में प्रदत्त सूचना अनुसार ''उच्चाधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से रोष प्रकट किया गया है'' जिसके आधार पर अपचारी कार्मिक को दण्डित किया जाना उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मात्र आरोपों को गढ़ने का प्रयास किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का अत्यन्त विषम परिस्थितियों में भी पालन करते हुये उच्चाधिकारियों के समस्त आदेशों की पालना की गई। अपीलांट ने राजकीय अवकाश दिवसों व देर रात्रि तक भी कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य किया है। पूर्व का कार्य भी सराहनीय रहा है। इस प्रकार अपीलांट पर आरोप सं0 1 में लगाये गये समस्त आरोप पूर्णतया अप्रमाणित, अनुचित होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने बहस के दौरान आरोप सं0 2 के संबंध में कथन किया कि अपीलांट का दिनांक 27–03–2020 को स्वास्थ्य खराब हो गया था जिससे उक्त दिनांक को अवकाश पर रहने की सूचना प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग को दूरभाष/ईमेल के जरिये दे दी गई एवं सहकार्मिक के साथ अवकाश प्रार्थना पत्र भी भिजवाया गया था। अपीलांट ब्रेन स्ट्रोक (Brain Stroke) से पीडित रह चुका है तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण सर्वसंबंधित को सूचना देने के उपरान्त ही महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में चिकित्सा परामर्श एवं दवाये ली। दिनांक 27–03–2020 का प्रस्तुत अवकाश प्रार्थना पत्र आज भी अस्वीकृत नहीं किया गया है अपितु जिला कलक्टर कार्यालय के पत्रांक 15885 दिनांक 12.06.2020 के बिन्दु सं0 2 में

अवगत कराया कि '' अवकाश स्वीकृति का प्रकरण स्वीकृत हेतु विचाराधीन है ''। आकस्मिक अवकाश के प्रार्थना पत्र को आज दिनांक तक लंबित रखा गया है।

अपचारी कार्मिक ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि दिनांक 27–03–2020 को प्रातः स्वास्थ्य खराब होने पर भारत सरकार द्वारा जारी OFFICE MEMORANDUM '' Preventive measures to be taken to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-1 9) — regarding " दिनांक 17–03–2020 के निम्न बिन्दुओं को अनुसरण किया।

(x) All officials may be advised to take care of their own health and look out for respiratory symptoms/fever and, if feeling unwell, should leave the workplace immediately after informing their reporting officers.

(xi) The leave sanctioning authorities are advised to sanction leave whenever any request is made for self-quarantine as a precautionary measure.

(xii) Advise all employees who are at higher risk i.e. older employees, pregnant employees and employees who have underlying medical conditions, to take extra precautions.

अपचारी कार्मिक ने बहस के दौरान यह अवगत कराया कि अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष 17 सी0सी0ए0 कार्यवाही की व्यक्तिगत सुनवाई में दिनांक 09.04.2020 के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया तथा स्वस्थ होने के उपरान्त भी दिनांक 09.04.2020 से 12. 04.2020 तक जिला चिकित्सालय के आइसोलनेशन वार्ड में जबरन संदिग्ध कोरोना मरीजों के साथ नियम विरूद्ध रखकर अपीलांट के जीवन एवं परिवार के भविष्य को संकट में डाला गया। अपीलांट के हाथ पर क्वारंटीन रहने हेतु मोहर लगाकर दिनांक 23.04.2020 तक होम क्वारंटीन रहने हेतु डिस्चार्ज टिकट पर निर्देश दिये एवं सहमति पत्र अगर 14 दिन तक क्वारंटीन अवधि में रहने की पालना नहीं करने पर एपीडेमिक एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्यवाही करने को तैयार रहने हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरान्त भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 1162 दिनांक 15.04.2020 से अपीलांट को पूर्ण रूप से स्वस्थ बताते हुये विभागीय कार्य हेतु सक्षम बता दिया एवं इसी आधार पर 17 सी0सी0ए0 की चार्जशीट में दिनांक 16.04.2020 को तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया तथा 17 सी0सी0ए0 की चार्जशीट को दिनांक 17.04.2020 को 16 सी0सी0ए0 में परिवर्तित करते हुये अपीलांट को निलंबित कर राष्ट्रव्यापी लॉकड़ाउन होने के उपरान्त भी मुख्यालय रायपुर किया जबकि अपीलांट उक्त अवधि में होम क्वारंटीन था। इसके पश्खत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रार्थी के निलम्बन आदेश पर स्टे लगाते हुये सूचनाऐ उपलब्ध कराने वं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करने के निर्देश दिये गये। इस प्रकार अपीलांट ने सक्षम स्तर पर अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अति संवेदनशील स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रशासनिक आदेशों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना कर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

अन्त में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ1–18(1)( )/स्था/2020/15654 दिनांक 16–04–2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर भीलवाड़ा से टिप्पणी प्राप्त की गई उनके पत्र क्रमांक 16317 दिनांक 20–08–2020 से प्राप्त पैरावाईज टिप्पणी मे

उल्लेखित है कि पारित आदेश उपलब्ध दस्तावेजों, तथ्य एवं परिस्थितियों के मध्यनजर पारित किया गया है जो पूर्णतः औचित्यपूर्ण, नियमित एवं वैद्य है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के सभी आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में सत्यात्म भाव से पूरी की गई है जिसे अप्रत्यक्ष रूप से अपीलार्थी द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलार्थी को जबरन संदिग्ध कोरोना मरीजों के साथ नियम विरूद्ध रखा गया। तत्समय प्रकट तथ्यों एवं परिस्थिति में ना केवल अपीलार्थी बल्कि अपीलार्थी के सम्पर्क में आ सकने वाले हर व्यक्ति की जीवन सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये अनिवार्य एवं उपयोगी था। अपीलार्थी के इस कथन का प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है परन्तु अपीलार्थी अपील में सहानुभूति प्राप्त करने हेतु मिथ्या एवं भ्रामक कथन कर रहा है।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा से प्राप्त पैरावाईज टिप्पणी के अतिरिक्त कथनों में अवगत कराया कि अपीलार्थी ने विभाग के संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्य में हमेशा लापरवाही/अरूचि बरती है तथा सदैव उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवज्ञा की है तथा अपीलार्थी का कार्य व्यवहार नकारात्मक रहा है। अपीलार्थी को उसके गंभीर लापरवाही कार्य एवं दुराचरण के लिये इससे पूर्व भी आरोप पत्र दिनांक 27.04.2018 को जारी किया गया था जिसमे अपीलार्थी के प्रत्युतर पर सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाते हुये अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 04.05.2018 को विभागीय कार्यवाही समाप्त (Drop) की गई। अपीलार्थी को कोविड़-19 के कार्य से संबंधित सूचना तैयार करने के लिये मौखिक रूप से कहा गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा कार्य नहीं करने पर लिखित आदेश दिनांक 26.03.2020 दिया गया। अपीलार्थी ने कार्यालय की गरिमा और सामान्य कार्यप्रणाली की अवेहलना कर उच्चाधिकारियों को लिखित आदेश जारी करने हेतु विवश किया तथा लिखित आदेश पर ही कार्य प्रारम्भ किया। कार्मिक द्वारा कार्य में भी गम्भीर लापरवाही बरती तथा अहस्ताक्षरित सूचना विलम्ब के साथ उच्चाधिकारियों यथा संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई तथा बिना हस्ताक्षरित रिपोर्ट जाने से जिला प्रशासन को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पडा। अपीलार्थी ने दिनांक 27.03.2020 का कार्य को बाधित करने हेतु जानबूझकर अवकाश लिया ताकि कोविड़-19 संबंधी कार्य नहीं करना पडे तथा कार्मिक का रूख पूर्णतया नकारात्मक, अहंकारी एवं गैर जिम्मेदाराना रहा।

अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार नहीं है कि प्राथमिक जांच नहीं की है और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी का आचरण गैर जिम्मेदाराना, अत्यन्त निदंनीय, अनुशासनहीनता, असहयोग, आदेशों की अवहेलना व राज्य हितों के प्रतिकूल रहा है। अपीलार्थी के विरूद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों की गम्भीरता के मध्यनजर नियमानुमत दण्डादेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपचारी कार्मिक किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट की प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी

कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि अपचारी कार्मिक पर आरोप सं0 1 कोविड–19 से संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में समय पर तैयार नहीं किये जाने से देर रात तक उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं भिजवाई जाने से राज्य स्तर पर जिले की छवि धूमिल होने तथा उच्चाधिकारियों द्वारा नाराजगी व्यक्त व कार्मिक द्वारा पदीय कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं करते हुए उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना से है एवं आरोप सं0 2 सक्षम स्तर से स्वीकृति के बिना अवकाश पर चले जाने से उच्च स्तर पर भिजवायी जाने वाली सूचना भेजने में देरी व कार्मिक का कृत्य प्रशासनिक आदेशों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में होकर, अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही से संबंधित है। चूकि अपचारी कार्मिक की कोविड़–19 महत्वपूर्ण कार्य में दिनांक 26–03–2020 को नियुक्त किया गया था तथा कार्मिक ने प्रथम दिवस होने से सूचना संकलन में 15 से 30 मिनिट अधिक समय लगना बताया। पत्रावली अनुसार सूचना अहस्ताक्षरित होने से उव्व स्तर से नाराजगी होने का उल्लेख है। कार्मिक द्वारा विभिन्न विभागो से सूचना तैयार कर संकलन किया जाना भी प्रकट होता है तथा प्रथम दिवस होने से परिस्थितिवश 15–30 मिनिट का अधिक समय लगना भी स्वभाविक है। अतः ऐसी स्थिति में इस आरोप के सम्बन्ध में कार्मिक के पदीय कर्तव्यों के दौरान कोई लापरवाही दर्शित नहीं होती है।

आरोप संख्या 2 के संबंध में जहां तक अपीलार्थी के अवकाश पर रहने का प्रश्न है तो अपीलार्थी पूर्व से ब्रेन स्ट्रोक (Brain Stroke) से पीडित रह चुका है तथा दिनांक 27–03–2020 को बीमार होने से अवकाश पर रहा था जिसका उसके द्वारा चिकित्सा परामर्श दस्तावेज व नियमान्तर्गत अवकाश आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि स्वीकृति हेतु लंबित होना भी अवगत कराया है। लंबित अवकाश प्रार्थना पत्र की स्थिति में लगाया गया उक्त आरोप भी अस्पष्ट एवं अप्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपचारी कार्मिक के द्वारा जानबूझकर राजकार्य में कोई लापरवाही नहीं की गई है और न ही आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं परिस्थतिजन्य साक्ष्य से स्वयं सिद्ध है। इनके आधार पर अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप उचित एवं विधिसम्मत नहीं है।

यहा पर यह उल्लेखित करना उचित समझती हूँ कि कोविड़–19 वैश्विक महामारी के दौरान राजकीय कार्मिको का दायित्व साधारण नहीं रहता है। आपात स्थिति/परस्थिति के दौरान संवेदनशील होकर मानवीय हितों की रक्षा हेतु अतिरिक्त एवं विशेष कार्य भी करने पड़ते है किन्तु जो कार्मिक ब्रेन स्ट्रोक (Brain Stroke) से पीडित रह चुका है तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण उपचारत है तथा भारत सरकार की OFFICE MEMORANDUM ‘‘ Preventive measures to be taken to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-19) — regarding " दिनांक 17–03–2020 के बिन्दु सं0 (xii) Advise all employees who are at higher risk i.e. older employees, pregnant employees and employees who have underlying medical conditions, to take extra precautions.
के अनुसार पूर्व से उपचाररत कार्मिक को विशेष सावधानिया बरतने की आवश्यकता है। कोविड़–19 बीमारी के विशेष काल व परिस्थिति के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्मिक के साथ सद्भावना नहीं रखी जाकर उनके विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर राज्य कार्य में उसके मनोबल व कार्यक्षमता को गलत दिशा प्रदान हो जाती है

जबकि अधीनस्थ कार्मिकों के विषम परिस्थितियों में संवेदनशील होकर व मानवीय दृष्टिकोण रखते हुये किये गये कार्यो के कारण ही जिला भीलवाड़ा देश में कोविड़–19 महामारी के संक्रमण के प्रसार को नियन्त्रण करने में रोल मॉडल के रूप में उभरा था। ऐसा कार्य टीम वर्क व कार्मिको के सहयोग से ही सम्पन्न होता है। राज्य सरकार के स्तर से भी कोविड़–19 परिस्थिति के कारण लॉकडाउन के समय राजकीय कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी सेवाओं को नियमित किया गया है। ऐसी कोविड़–19 की महामारी व विकट चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कार्मिक के खिलाफ शीघ्रता से अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन दण्डादेश दिनांक 16.04.2020 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ1–18(1) ( )/स्था/2020/15654 दिनांक 16–04–2020 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.10.2020 को सुनाया गया।

(डॉ आरूषी मलिक),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर